न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित चेतन देवड़ा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 42/2020 अपील (राजस्व)

श्री गणेश लाल पिता श्री लालुराम जी पालीवाल, निवासी– रामा, तहसील बड़गाव, जिला– उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गाव, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2020 प्रकरण संख्या 04/20
नाजायज कब्जा द्वारा तहसीलदार बड़गाव जिला उदयपुर

उपस्थित : श्री सुरेश चन्द्र श्रीमाली, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–22.02.2021

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बड़गाव के प्रकरण संख्या 04/20 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 10.07.20 से नाराज होकर प्रस्तुत की गई हैं।

अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुने ही दिनांक 10.07.2020 की तारीख पेशी कर बेदखली के आदेश दे दिये गये जिसका ज्ञान प्रार्थी को मौके पर निर्माण ध्वस्त करने की कार्यवाही करने पर हुआ। तत्काल नकल प्राप्त की गई जिससे ज्ञात हुआ कि अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 10.07.2020 को ही बेदखली का आदेश पारित कर दिया गया जिसका ज्ञान अपीलाण्ट को दिनांक 11.09.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिलानाम आराजी नम्बर 2980 रक्बा 0.0700 पर अपीलाण्ट का कब्जा मानने में भूल की है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं है अपितु अपीलाण्ट के पुत्र पवन का

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा है जो दिव्यांग होकर अंधा है। सन् 2012 से अंधता के कारण पेंशन प्राप्त कर रहा है जिसके द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग व अपनी पेंशन की राशि से बचत कर एक कमरे का निर्माण किया, जिस पर टिनशेड डालकर 2 गायें पालकर अपना जीवनयापन कर रहा है। अपीलाण्ट के नाम का नोटिस भी पवन द्वारा प्राप्त किया क्योंकि मौके पर वो ही काबिज है जिसे बिना सुने ही कब्जा हटाने का आदेश दिया है। ग्राम पंचायत भी इस कार्यवाही से नाराज है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.07.2020 को निरस्त फरमाया जाकर, पवन को नोटिस जारी कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब नहीं देकर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है। वह आदेश पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध है क्योंकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुना नहीं गया ना ही साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में अतिक्रमित भूमि पर अपीलाण्ट का नाजायज कब्जा नहीं है। वास्तविकता में इस भूमि पर अपीलाण्ट के दिव्यांग पुत्र पवन का कब्जा है जो अंधा होकर वर्ष 2012 से अंधता की पेंशन ले रहा है। इस भूमि पर उसके द्वारा टिनशेड का एक कमरा बनाकर दो गायों को पालकर अपना जीवन यापन करता है। इस कमरे का निर्माण ग्रामवासियों के सहयोग से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही पर ग्रामीणों एवं सरपंच द्वारा एक ज्ञापन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भी कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किया गया एवं ग्रामवासियों द्वारा निवेदन किया कि इस भूमि का पट्टा पवन कुमार के नाम से जारी किया जाये क्योंकि पवन कुमार निर्धन, अन्धा व विकलांग है। अतः उसकी अंधता को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित करें कि वह प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर सुनवाई कर नये सिरे से आदेश पारित करें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश विधि के अनुसार ही हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अपीलान्ट की नियमानुसार सुनवाई कर ही बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा इस भूमि पर अपने पुत्र का कब्जा होना बताया जा रहा है जबकि अपीलाण्ट एवं उसका पुत्र एक ही परिवार से है। प्रार्थी स्वयं ही अतिक्रमण को साबित कर रहा हैं। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण में राजकीय बिलानाम भूमि पर हुये अतिक्रमण संबंधी बेदखली की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव द्वारा की गई है, परन्तु प्रकरण में अतिक्रमी गणेशलाल पिता लालुराम ब्राहम्ण द्वारा अपनी अपील मेमो में यह निवेदन किया है कि वर्णित अतिक्रमण मेरे द्वारा नहीं किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुना नहीं गया एवं उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रकरण में आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय करने में शीघ्रता की है। अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मेरा यह विनम्र मत है कि अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खारीज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है। तहसीलदार द्वारा वास्तविक कब्जेधारी के संबंध में आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जावे।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2022.01.17 14:55:47 IST
Reason: SelfAttested